81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1606–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10 जनवरी 2014 – पारित व्दारा – राजस्व निरीक्षक, वृत्त जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला शहडौल – प्रकरण क्रमांक 13 अ–12/2013–14

1– नीरज पुत्र रामकृष्ण केशरवानी
2– अभिषेख पुत्र वालकृष्ण केशरवानी
3– वालकृष्ण पुत्र राममिलन केशवानी
सभी बार्ड–13 जयसिंहनगर जिला शहडौल ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– भोले पुत्र जगदीश कहार निवासी वाड–13
जयसिंह नगर जिला शहडौल
2– मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अंजनीकुमार)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 06 – 04 –2018 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला शहडौल के प्रकरण क्रमांक 13 अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसील जयसिंह नगर में आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 519/8/1/1 रकबा 0.219 हैक्टर के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर ने प्रकरण क्रमांक 13 अ–12/2013–14 पॅजीबद्व किया एंव मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी करके दिनांक 22–6–13 को स्थल सीमांकन किया। सीमांकन पर आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 10–1–2014

पारित किया तथा आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। राजस्व निरीक्षक जयसिंहनगर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक कमांक 1 मौजा जयसिंहनगर की आराजी कमांक 519/8/1/1 रकबा 0.219 हैक्टर का रिकार्डेड भूमिस्वामी है और वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने का अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होने संबंधी बताये गये तथ्य का प्रश्न है ? यदि अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 10-1-14 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक, वृत्त जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला शहडौल के प्रकरण कमांक 13 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-1-2014 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर